पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल की एन0आई0टी0, सुमाडी पेयजल की योजना के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2020 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री नितेश झा, सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्रीमती सौजन्या, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री वी0सी0 पुरोहित, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
5. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री जी0सी0 जोशी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री बी0के0 पन्त, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
8. श्री दिनेश वर्मा, सहायक अभियन्ता, टी0ए0सी0 नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।

1. **परियोजना का प्रस्ताव** :–

1.1 योजनान्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल की एन0आई0टी0, सुमाडी के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु प्राक्कलन के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। एन0आई0टी0 सुमाडी परिसर को पेयजल से लाभान्वित करने एवं परिसर में सम्पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उक्त पेयजल योजना का निर्माण आवश्यक है।

1.2 उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव/आंगणन का गठन उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा किया गया है।

2. **भूमि की उपलब्धता** :– योजनान्तर्गत भूमि में 0.93 है0 भूमि वनपंचायत तथा 0.15 है0 भूमि नापभूमि के अधीन आती है, जिसकी पुष्टि पेयजल निगम द्वारा राजस्व विभाग के माध्यम से करा ली गयी है। योजना हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध है।

परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

1. टी0ए0सी0 के परीक्षण के उपरान्त परियोजना की लागत

(अ)	शिड्यूल आईटम (एस0आई0)	रू0 1579.71 लाख
(ब)	नॉन शिड्यूल आईटम (एन0एस0आई0)	रू0 649.93 लाख
(स)	योग	रू0 2229.64 लाख
(द)	राज्य योजना आयोग द्वारा जांचोपरान्त कुल लागत	रू0 2113.01 लाख
(य)	लागत में कुल कटौती	रू0 116.56 लाख

क्रमशः पृष्ठ–2/–

3. **व्यय वित्त समिति की बैठक हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमत** :–

3.1 परियोजना प्रशासकीय विभाग की विभागीय समिति की दिनांक 23.07.2020 को आहूत बैठक में अनुमोदित है।

3.2 परियोजना हेतु वर्ष 2020–21 में राज्य सेक्टर में रू0 4.00 करोड की धनराशि का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

3.3 परियोजना के अन्तर्गत एन0आई0टी0, सुभाडी में संस्थान, छात्रों एवं स्टाफ हेतु 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल सुविधा प्रदान की जानी प्रस्तावित की गयी है।

3.4 परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है :–

(i) Source of Water – Alak Nanda River.
(ii) Intake Well – 1 No.
(iii) Water Treatment Plant – 1 No. (1.80 MLD capacity)
(iv) Pumping – 3 Stage (1 Raw water + 2 clear water)
(v) Top Clear Water Storage Tank – 800 KL capacity
(vi) Rising Main – 13.20 Km (API/ERW pipe dia 150 mm – 200 mm)
(vii) Distribution System – 0.5 km (GI (m) pipe-150 mm dia)
(viii) Sump cum Reservoir – 2 Nos. (20 KL & 225 KL)
(ix) Pump House – 2 No. + 1 (at Intake well)
(x) Population
Base Year 2023 - 4876
Design Year 2043 - 9750
(xi) Per Capita Cost
Base Year 2023 - 43335.00
Design Year 2043 - 21672.00
(xii) Annual Operation & Maintenance Cost
Base Year 2023 - Rs 34.79 Lakh
Design Year 2043 - Rs 96.40 Lakh
(xiii) Annual Income from the Scheme –
Base Year 2023 - Rs 13.98 Lakh
Design Year 2043 - Rs 34.83 Lakh

3.5 परियोजना के अन्तर्गत राइजिंग मेन पाइप लाइन में डिजाइन में संशोधन हेतु कुल कटौती रू0 91.59 लाख एवं 06 माह के रखरखाव व्यय में रू0 9.27 लाख के व्यय की विद्युत खपत में डुप्लीकेसी होने के फलस्वरूप कटौती प्रस्तावित है। उक्त कुल कटौती की धनराशि में कन्टिनजेन्सी @3 प्रतिशत एवं सैन्टेज @12.5 प्रतिशत जोडते हुए लागत में कुल रू0 116.56 लाख की कटौती प्रस्तावित की जाती है। इस प्रकार परियोजना की कुल लागत रू0 2229.64 लाख – रू0 116.56 लाख अर्थात् कुल लागत रू0 2113.08 लाख प्रस्तावित की गयी है।

3.6 पेयजल विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना हेतु राज्य सरकार एवं ग्राम सभा की निःशुल्क भूमि उपलब्ध है।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

4. **परियोजना की लागत का विवरण** :–

S.No.	Working Head	Amount in Lakh
1	Intake work & Source work	159.60
2	Treatment Works	150.07
3	Rising main	855.94
4	Sump & CWR	71.09
5	Distribution System	11.84
6	Pump House	29.20
7	Staff Quarter	66.60
8	Cartage	19.88
9	Fencing & other misc. works	33.36
10	Six month Trail	17.40
11	E&M work	550.68
	Total	**1965.66**
12	Contingencies @3%	40.76
13	Labourcess @1% on DSR item only	4.74
	Total (S.I. Item-1404.19 + NSI Item-606.97 = 2011.16)	**2011.16**
	Centage @12.50%on S.I. item **(Rs 1404.19)**	175.52
	Centage @12.50% on NSI item **(Rs 606.97)**	42.96
	Total	**2229.64**
	Deduction in the Cost of Rising Main & 6th Month O&M cost	(-) 116.56
	Grand Total	**2113.08**

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय** :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी चर्चा के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश–4 में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 2113.08 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.2 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

5.3 योजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियोजन विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवश्य संसूचित किया जाय ताकि निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।

5.4 कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इसके पश्चात् डी0पी0आर0 में किसी प्रकार का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में पुनरीक्षण या किसी नये मद को जोड़ने की आवश्यकता होती हो तो पुनः नियमानुसार व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जाय।

क्रमशः पृष्ठ–4/–

5.5 निर्माण सामग्री यथा पाईप, Bricks, cement, steel एवं अन्य का I.S.Code के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।

5.6 कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design सक्षम स्तर से विधीक्षित (Vet) कराया जाय, साथ ही Reinforcement Steel की मात्रा Bar bending schedule के आधार पर आंकलित किया जाय।

5.7 आगणन में एस0ओ0आर0 पेयजल निगम/लोक निर्माण विभाग/डी0एस0आर0 2018 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.8 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव मानकानुसार स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.8 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंव विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेगें, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित करने की प्रवृत्ति को रोका जा सकें।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

ओम प्रकाश
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्याः 1059/631/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2020–21
देहरादूनः दिनांकः 09 अक्टूबर, 2020

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव